**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः— सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः— 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

| | |
|---|---|
| सूचक | श्री शिवेन्द्र कुमार, अ0नि0 उत्पाद थाना, जिला—शेखपुरा। |
| सूचक के विद्वान अधिवक्ता | श्री अरविंद कुमार, विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा। |
| अभियुक्त | (1) ईश्वर ढाढ़ी, पे0 स्व0 जिवद्य ढाढ़ी, उम्र—57 वर्ष, साकिन—मेहुस, थाना—मेहुस, जिला—शेखपुरा। |
| अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता | श्री मनोज कुमार। |

## FORM B

| | |
|---|---|
| घटना की तिथि | 30.07.2018 |
| अभियोजन दर्ज करने की तिथि | 30.07.2018 |
| आरोप गठन की तिथि | 29.08.2019 |
| गवाही आरंभ की तिथि | 17.11.2019 |
| निर्णय निर्धारण की तिथि | 29.06.2026 |
| निर्णय की तिथि | **30.06.2026** |
| सजा की तिथि | ——— |

**अभियुक्त का विवरणः—**

| क्रम सं0 | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तिथि | जमानत पर मुक्ति की तिथि | आरोप गठन की धारा | बरी या सजा | निर्धारित सजा | विचारण के दौरान धारा 428 द0 प्र0 सं0 के तहत नरजबंद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ईश्वर ढाढ़ी | 31.07.2018 | 14.08.2018 | बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a) | **बरी** | ——— | ———— |

**FORM C**
**अभियोजन साक्षी**

| क्रम सं0 | नाम |
|---|---|
| साक्षी संख्या 1 | संजुला कुमारी |
| साक्षी संख्या 2 | सुधीर कुमार |

**FORM D**
**प्रतिरक्षा साक्षी**

| क्रम | नाम |
|---|---|
| — | — |
| शून्य | शून्य |

**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः— सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः— 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

**FORM E**
**प्रतिरक्षा साक्षी**

| क्रम | नाम |
|---|---|
| — | — |
| — | — |

**परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूची**

**अभियोजन पक्ष**

| क्रम | प्रदर्श |
|---|---|
| 1. | साक्षी सं0—01 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श—**"1"** |
| 2. | साक्षी सं0—01 ने गिरफ्तारी मेमों पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"2"** |
| 3. | साक्षी सं0—02 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श—**"1/1"** |
| | साक्षी सं0—02 ने गिरफ्तारी मेमों पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"2/1"** |

B प्रतिरक्षा पक्ष

| | |
|---|---|
| — | — |
| | शून्य |

C वस्तु प्रदर्श

| क्रम | प्रदर्श |
|---|---|
| | शून्य |
| | शून्य |

## नि र्ण य

(1) उपरोक्त नामांकित अभियुक्त ईश्वर ढाढ़ी के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम की धारा 30(a) के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मेहुस ढाढ़ी टोला में अभियुक्त के घर के पीछे सटे जमीन में गाड़कर रखे हुए 25.000 लीटर चुलाई शराब, छापामारी दल द्वारा तलाशी के क्रम में जमीन से खोदकर निकाला गया एवं बरामद किया गया, के आरोपित अपराध के लिये विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप में, सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद इस प्रकार है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद दल शेखपुरा एवं मेहुस थाना प्रभारी श्री रंजीत कुमार एवं प्रतिनियुक्त थाना कर्मियों एवं बलों के साथ उपरोक्त वर्णित स्थल पर छापामारी की

**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः— सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः— 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

गई। उपस्थित गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी के क्रम में कॉलम 03 से 06 के अनुसार अवैध उत्पाद वस्तु बरामद हुआ। प्रदर्श को जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तलाशी सह जप्ती सूची का एक प्रति बनाकर अभियुक्त को हस्तगत किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गयी थी। उत्पाद दल में सैप, गृहरक्षा वाहिनी एवं अधीनस्थ उत्पाद कर्मी शामिल थे। सभी आवश्यक कार्रवाई घटनास्थल पर की गयी थी।

(3). सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर उत्पाद कांड सं0—190सी2/2018, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत दिनांक 30.07.2018 को वाद संस्थित किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान की समाप्ति पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

(4). विद्वान न्यायालय द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के अवलोकन करने के उपरान्त उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत, दिनांक 23.03.2019 को संज्ञान लिया गया।

(5). उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 29.08.2019 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत आरोप गठित किया गया, जिसे अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

(6). अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान दिनांक 27.05.2026 को दं0 प्र0 सं0 की धारा 313 के तहत अभिलिखत किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं निर्दोष होने का अभिवाक् किया।

(7). विद्वान न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सभी युक्ति—युक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में सफल रहा अथवा नहीं ?

**<u>मं त व्य</u>**

(8). अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोप को साबित करने के लिए दो मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो निम्न प्रकार हैः——

1. अभियोजन साक्षी सं0—1 संजुला कुमारी
2. अभियोजन साक्षी सं0—2 सुधीर कुमार

**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः– सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः– 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

(A) **दस्तावेजी साक्ष्य :–** इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हैं :–

(i) साक्षी सं0–01 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"1"**

(ii) साक्षी सं0–01 ने गिरफ्तारी मेमों पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"2"**

(iii) साक्षी सं0–02 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"1/1"**

(iv) साक्षी सं0–02 ने गिरफ्तारी मेमों पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"2/1"**

(B). इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई में किसी भी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(9). बहस सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन अपना मामला एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्त दोषमुक्ति के लायक हैं, जबकि अभियोजन ने पूरजोर विरोध करते हुए दलीलें दी है कि अभियोजन अपना मामला को युक्ति–युक्त संदेहों से परे रहकर सिद्ध करने एवं अकाट्य साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त दोष–सिद्धि के लायक हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि अभियोजन द्वारा दो मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। साथ ही अभियोजन सह जप्ती सूची, जांच प्रतिवेदन इत्यादि को प्रदर्श कराये हैं, जबकि बचाव पक्ष के ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गुण–दोष का सूक्ष्म विश्लेषण करना न्यायोचित समझता हूँ।

(10). तथाकथित घटना के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी सं0–01 संजुला कुमारी है। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 30.07.2018 को 01:55 बजे अपराह्न की थी। उक्त तिथि को गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना से सरकारी वाहन से अवर निरीक्षक उत्पाद शिवेन्द्र कुमार, उत्पाद सिपाही, सैफ जवान और होमगार्ड तथा मेहुस थाना के थानाध्यक्ष के साथ मेहुस ढाढी टोला ईश्वर ढाढ़ी के घर पहुँचे। अभियुक्त के घर की तलाश ली गयी। तलाशी के क्रम में घर के पीछे सटे 25 लीटर अवैध चुलाई शराब जमीन में गाड़ा हुआ पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियोग–सह–जप्ती सूची एवं गिरफ्तारी ज्ञापान घटना स्थल पर उनके सामने तैयार की गयी। अभियोग–सह–जप्ती सूची एवं गिरफ्तारी ज्ञापान पर उनका गवाह के रूप में

हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचानती थी, इसे क्रमशः प्रदर्श —1 और 2 अंकित किया गया। वह अभियुक्त ईश्वर ढाढी को पहचानती थी। आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उनके सामने शराब जप्त किया गया था। जप्त शराब एक ही डब्बा में था। डब्बा को जमीन से निकाल कर गाड़ी में रख दिया गया। शराब बरामद होने के दिन के बाद आज तक शराब को वह नहीं देखी। जिस समय शराब जमीन से निकाला जा रहा था, उस समय ईश्वर ढाढी घर के अंदर था। हमलोग जीप से गये थे और अभियुक्त के घर के दरवाजा तक जीप गयी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद वह ईश्वर ढाढ़ी को देखी थी। ईश्वर ढाढ़ी के घर में महिला थी। अवर निरीक्षक उत्पाद जीप से उतरकर सीधे घर के पीछे गये या नहीं, याद नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

(11). अभियोजन साक्षी सं0—02 सुधीर कुमार है। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 30.07.2018 को 01:55 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना से अवर निरीक्षक उत्पाद शिवेन्द्र कुमार, उत्पाद सिपाही संजुला कुमारी, सैफ जवान और होमगार्ड तथा मेहुस थाना के थानाध्यक्ष संजीत कुमार के साथ मेहुस ढाढी टोला ईश्वर ढाढी के घर पहुँचे। अभियुक्त के घर की तलाश ली गयी। तलाशी के क्रम में घर के पीछे 100 लीटर का गैलन में 25 लीटर अवैध चुलाई शराब जमीन में गाड़ा हुआ पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियोग—सह—जप्ती सूची एवं गिरफ्तारी ज्ञापन घटनास्थल पर उनके सामने तैयार किया किया गया। अभियोग—सह—जप्ती सूची एवं गिरफ्तारी ज्ञापन पर उनका गवाह के रूप में हस्ताक्षर था, जिसे वह पहचानता था, इसे क्रमशः प्रदर्श—1/1 और 2/1 अंकित किया गया। वह अभियुक्त ईश्वर ढाढ़ी को पहचानते थे। उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं था।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ईश्वर ढाढी के घर के अंदर से कुछ नहीं मिला था। घर की तलाशी के क्रम में अभियुक्त ईश्वर ढाढी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और वह साथ में था। तलाशी के क्रम में वह घर के अंदर नहीं घुसे थे, घर के अंदर अवर निरीक्षक उत्पाद घुसे थे। वह, ईश्वर ढाढी को घर की तलाशी के पहले देखें थे। ईश्वर ढाढी अपने घर के सामने गेट के पास खड़ा थे। हमलोग सभी वर्दी में थे। हमलोग को देखकर ईश्वर ढाढी नहीं भागा था। ईश्वर ढाढी का घर का चौहद्दी नहीं बता सकता। जहॉ से शराब बरामद हुआ था, वहॉ का चौहद्दी नहीं बता सके। शराब बरामद किया गया था, जप्त शराब अभी उनके सामने उस दिन न्यायालय में उपलब्ध नहीं थी। जप्त शराब को घटनास्थल के बाद उस शराब को फिर नहीं देखे थे। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः— सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः— 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

(12.) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क में कथन किया गया है कि इस वाद में सूचक सह अनुसंधानकर्ता, जप्ती सूची के एक अन्य गवाह का मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया है। अधिवक्ता का तर्क करते हैं कि जप्त शराब को विधिवत साबित नहीं किया गया है क्योंकि न तो जप्त शराब का नमूना प्रदर्श, जांच रिपोर्ट एवं शराब की विनष्टीकरण प्रतिवेदने को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और साबित किया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि घटनास्थल किसका है, इससे संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बहस के दौरान कथन किये हैं कि अभियोजन साक्षी सं0—01 अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—03 में कहा है कि शराब बरामद होने के बाद आज तक शराब को उन्होंने नहीं देखी। जिस समय शराब जमीन से निकाला जा रहा था, उस समय ईश्वर ढाढ़ी घर के अंदर था। अभियोजन साक्षी सं0—02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—03 में कहा है कि ईश्वर ढाढ़ी के घर के अंदर से कुछ नहीं मिला था। घर की तलाशी क्रम में अभियुक्त ईश्वर ढाढ़ी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और वह साथ में था। इन्होंने ये भी कहा है कि वह ईश्वर ढाढ़ी वे अपने घर के सामने गेट के पास खड़ा थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष है।

आगे विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा अभियोजन द्वारा कराए गए साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होता है और अभियुक्त दोषमुक्त का योग्य है।

(13). अभियोजन के द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में कहा गया है कि अभियोजन द्वारा दो साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो कि जप्ती सूची के गवाह है। दोनों साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किये हैं तथा अभियोजन द्वारा गिरफ्तारी मेमो एवं शराब जप्ती को प्रदर्श कराये हैं। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का तर्क है कि इस मौखिक साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रदर्शों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्धि के लायक हैं।

(14). उभयपक्षों, के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किये गये विद्वतापूर्ण बहस को सुना गया।

(15). अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा इस वाद में न तो शराब जांच रिपोर्ट और शराब नमूना प्रदर्श अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है और न ही विनष्टीकरण का प्रमाण पत्र अभिलेख पर मौजूद है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा

**न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार**
**उपस्थितिः— सतीश कुमार झा**
**निर्णय की तिथिः— 30.06.2026**
**उत्पाद वाद सं0.-190/2018**
**बिहार राज्य बनाम् ईश्वर ढाढ़ी।**

65(b) का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन के लिए दो साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष करवाया गया है, जो कि जप्ती सूची के गवाह है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है किन्तु इस मामले के सूचक सह अनुसंधानकर्ता एवं जप्ती सूची के एक अन्य गवाह को न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं पुलिस द्वारा अंतर्गत धारा 100 द0प्र0स0, नवीनतम संशोधन धारा 103(4) B.N.S.S का भी अनुपालन नहीं किया गया है। घटनास्थल किस अभियुक्त का है, इससे संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। अभिलेख पर जप्त शराब के जांच रिपोर्ट, नमूना प्रदर्श व विनष्टीकरण के अभाव में अभियोजन पक्ष जप्त शराब और जप्ती सूची को साबित करने में पूर्णतया अफल रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन का वाद संदेहास्पद हो गया है और विधि का यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है।

तद्नुसार, इस वाद के अभियुक्त ईश्वर ढाढ़ी के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है तथा अभियुक्त एवं इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक, नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में भेजने का निर्देश दिया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, खुले
न्यायालय में उद्घोषित।

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक—30.06.2026

(सतीश कुमार झा)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक—30.06.2026

| | |
|---|---|
| Date of Judgement/Order | 30-06-2026 |
| Date Of Reserving Judgment/Order | 30-06-2026 |
| Uploading Date | 02-07-2026 |
| Uploaded by | Anjalee Ayyar (Stenographer) |